प्रेषक,

पंकज कुमार मद्धेशिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/
मण्डलायुक्त/जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2026

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय व भवन मरम्मत/विस्तार क्रय अग्रिम के ऑकडों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के द्वितीय त्रैमास तक (अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 तक) के आकंड़ों का महालेखाकार कार्यालय में लेखांकित ऑकडों से मिलान दिनांक 02.11.2026 से दिनांक 04.12.2026 तक की निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या बी-2-237/दस-2026-आर-2/2016, दिनांक 27.10.2026 के सन्दर्भ में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के द्वितीय त्रैमास तक के ऑकडों का मिलान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की संस्तुति के अनुसार "GIA in Kind" से सम्बन्धित लेखों का केन्द्रीय सरकार के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (PAO), महालेखाकार कार्यालय तथा राज्य सरकारों के मध्य मिलान किया जाना है! अतः "GIA in Kind" से सम्बन्धित लेखों का मिलान निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के साथ ही महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध 2001-02 से 2025-26 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc.) के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी.बिल का समयोजन भी महालेखाकार कार्यालय में सम्भव हो सके। यह भी उल्लेखनीय है कि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

पंकज कुमार मद्धेशिया
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2026/बी-3-342/दस-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।
4- प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

पंकज कुमार मद्धेशिया
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - बी-3- 342/55-2026

संख्या-बी-2-237/दस-2026-आर-2/2016

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 27 अक्टूबर, 2026

अत्यावश्यक

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक (अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/1/1651755/2026, दिनाँक 16 अक्टूबर, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक अर्थात् माह अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 तक के लेखाकिंत प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनाँक 02.11.2026 से 04.12.2026 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

28-10-2026

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक (माह अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 तक) के लेखांकित प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी0डी0ओ0 रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी0एम0-4 एवं बी0एम0-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नम्बर-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ), 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ रतन कुमार)
विशेष सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की संस्तुति के अनुसार, **"GIA in Kind" से सम्बन्धित लेखों का केन्द्रीय सरकार के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (PAO), महालेखाकार कार्यालय तथा राज्य सरकारों के मध्य मिलान किया जाना है।** अतः **"GIA in Kind"** से सम्बन्धित लेखों का मिलान निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के साथ ही

30/10/26

महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-02 से 2025-26 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी.बिल का प्रेषण तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc.) के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चत करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समयोजन भी महालेखाकार कार्यालय में सम्भव हो सके। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखा मिलान कार्य दिनॉक 04.12.2026 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-बी-2-237(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके संख्या-टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/1/1651755/2026, दिनॉक 16 अक्टूबर, 2026के सन्दर्भ में।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

B-2-237/GA-2026

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), उत्तर प्रदेश
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Accountant General (A & E), Uttar Pradesh.

पत्रांक: टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/I/1651755/2026
दिनांक: 14-10-2026
16

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ- 226001

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक (04/2026 से 09 /2026 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का लेखा मिलान के सम्बन्ध में |

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक अर्थात अप्रैल-2026 से सितम्बर-2026 तक लेखांकित प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिए दिनांक:-02/11/2026 से 04/12/2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है |

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से समस्त नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करना चाहें कि:-

(1) वह निम्न ई-मेल अथवा फैक्स नं० पर अपने विवरण एवं संबन्धित अभिलेख अर्थात (1) डी.डी.ओ. रिकंसिलियेसन शीट, (2) बी. एम.-4 एवं (3) बी.एम.-13 सीधे इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करें , ताकि लेखे का मिलान निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जा सके अन्यथा, महालेखाकार द्वारा पुस्तान्कित आंकडे अंतिम समझे जाएंगे |

VS(A&D)
23/X/26

ईमेल आई डी: agaeuttarpradesh1@cag.gov.in
फैक्स नं० : 0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) , 0532-2421987

(संदीप कौर)
सचिव

(2) इस कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-02 से 2025-2026 की अवधि में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लंबित ए.सी.बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समायोजन भी इस कार्यालय में संभव हो सके |

(3) **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) कार्यालय की संस्तुति के अनुसार , "*GIA in Kind*" से संबंधित लेखों का केंद्रीय सरकार के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (PAO), महालेखाकार कार्यालयों तथा राज्य सरकारों के मध्य मिलान किया जाना है। अतः "*GIA in Kind*" से संबंधित लेखों का मिलान निर्धारित अवधि में पूर्ण कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।**

(4) राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc.) के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान भी अनिवार्य रूप से किया जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना चाहें |

उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत कार्यक्रम की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

(संदीप कौर) 181/X-VS CD)
23/X
वी-2

भवदीय,
Digitally signed by
Rajendra Prasad
Date: 14-10-2026
10:34:21
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी.

23.X.2026
(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

श्रीरामपाद
27-10-2026

पत्रांक: टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/ 62776 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव (वित्त विभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. विशेष सचिव (वित्त), आय व्ययक, अनुभाग-3 ,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4. वरि० उपमहालेखाकार (राजकोष एवं वी.एल.सी.) कार्यालय महालेखाकार (ले.व हक.), उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा मिलान, राजकोष समन्वय, कार्यालय महालेखाकार (ले.व हक.), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निर्माण समन्वय, कार्यालय महालेखाकार (ले.व हक.), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Digitally signed by
Krapal Singh
Date: 16-10-2026
16:34:04

वरिष्ठ लेखाधिकारी/टी.एम.(सी.)

संख्या-बी-2-237/दस-2026-आर-2/2016, दिनॉक 27 अक्टूबर, 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास तक अर्थात् माह अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की तिथि
1.	आबकारी	02.11.2026
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	03.11;2026
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	
9.	परती भूमि विकास	04.11.2026
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	05.11.2026
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	
17.	पंयायती राज विभाग	06.11.2026
18.	पशुधन विभाग	
19.	दुग्ध विकास विभाग	
20.	मत्स्य विभाग	
21.	सहकारिता विभाग	12.11.2026
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग	
23.	खाद्य एवं रसद विभाग	
24.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	13.11.2026

26.	गृह (कारागार) विभाग	
27.	गृह (पुलिस) विभाग	
28.	नागरिक सुरक्षा विभाग	
29.	राजनीतिक पेंशन विभाग	
30.	गृह (गोपन) विभाग	16.11.2026
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग	
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग	17.11.2026
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग	
37.	नगर विकास विभाग	
38.	नगरीय रोजार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	18.11.2026
39.	नागरिक उड्डयन विभाग	
40.	भाषा विभाग	
41.	नियोजन विभाग	
42.	निर्वाचन विभाग	19.11.2026
43.	न्याय विभाग	
44.	परिवहन विभाग	
45.	पर्यावरण विभाग	
46.	पर्यटन विभाग	20.11.2026
47.	प्रशासनिक सुधार विभाग	
48.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	
49.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
50.	महिला एवं बाल विकास विभाग	23.11.2026
51.	राजस्व विभाग	
52.	सहायता एवं पुनर्वास विभाग	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	
54.	लोक निर्माण विभाग	25.11.2026
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन विभाग	
57.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा) विभाग	
58.	विधान परिषद सचिवालय	26.11.2026

59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	27.11.2026
61.	वित्त विभाग	
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा विभाग	
64.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	30.11.2026
65.	उच्च शिक्षा विभाग	
66.	श्रम विभाग	
67.	सचिवालय प्रशासन विभाग	
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	
69.	विकलांग कल्याण विभाग	01.12.2026
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
71.	समाज कल्याण विभाग	
72.	जनजाति कल्याण विभाग	
73.	सतर्कता विभाग	
74.	सामान्य प्रशासन विभाग	
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल) विभाग	02.12.2026
76.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	
77.	सूचना विभाग	
78.	संस्थागत वित्त विभाग	03.12.2026
79.	स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग	
80.	मनोरंजन कर विभाग	
81.	सैनिक कल्याण विभाग	
82.	व्यापर कर विभाग	
83.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	
84.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	
85.	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखा मिलान न करा पाये हों।	04.12.2026